FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0001 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/01/2025 20:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:20 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/01/2025 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/01/2025 20:08:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARISHI UPAJ KHAREED KENDRA, KARISHI MANDHI AAHOR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GANESHA RAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GENA JI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 14/10/1947 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MEGWALO KA VAS,AAHOR, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MEGWALO KA VAS,AAHOR, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHANWAR SINGH		पिता:SAWAI SINGH	1. DHANAREE,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 9,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर (राज.) विषय- रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् मान्यवरजी, उक्त विषय में अर्ज है कि मुझ प्रार्थी गणेशा राम पुत्र गेनाजी कुम्हार निवासी आहोर का रहने वाला हूँ। मेरे स्वयं व मेरे पुत्र के खेत में मेरे द्वारा तथा काश्तकार श्री नारायण सिंह पुरोहित निवासी छिपरवाड़ा द्वारा इस वर्ष 2024 में मूंग की बुवाई करवाई थी, जो इस वर्ष हमारे करीब 75 बोरी मूंग की पैदावार हूई थी। उक्त मूंग कृषि मण्डी आहोर में बेचने हेतु मैं तथा नारायण सिंह दिनांक 21.12.2024 को को एक ट्रेक्टर टोली में करीब 45 कट्टे (25 क्वींटल) मूंग बेचने हेतु कृषि मण्डी आहोर पहुंचे तो कृषि मण्डी आहोर में श्री भंवरसिंह बाबुजी ने मुझे तथा नारायण सिंह को कहा कि एक ट्रेक्टर टोली मूंग तुलवाने के मुझे 10,000 रूपये खर्चे-पानी के देने होंगे। उसी दिन 25 क्वींटल मूंग कृषि मंडी आहोर में तुलवाने के पच्छात मुझे रसीद दी। हम दोनों ने कहा कि एक ट्रोली मूंग और भी हमारे घर पर है, उसको तुलवाने लेकर आऐंगे उस समय खर्चे-पानी हेतु बात करेंगे। उसके बाद दिनांक 28.12.2024 को एक टेक्टर टोली में करीब 38 कट्टे लेकर कृषि मंडी आहोर पहुंचे तो भंवरसिंह बाबुजी ने 23 क्वींटल मूंग तुलवाकर कृषि मण्डी आहोर में जमा किए तथा रसीद दी तथा 4 कट्टे (2 बोरी) मूंग मुझे वापस दे दिए, भंवरसिंह बाबूजी ने कहा कि दोनों ट्रेक्टरों के दस-दस हजार रूपये लेकर आना व दो बोरी मूंग जमा कर भी दुंगा तथा आगे भी आपके खेत की पैदावार मूंग, चणा वगेरा को इस कृषि मण्डी में तौल नहीं करवाउंगा एवं जमा नहीं करवाउंगा, आपने रूपये नहीं दिये तो। मैं मेरे वाजीब काम की एवज में श्री भंवरसिंह बाबुजी को बीस हजार रूपये रिश्वत में नहीं देना चाहता हूँ। मेरे और श्री भंवरसिंह बाबुजी के आपस में कोई रंजीश नहीं है तथा न ही कोई रूपयों का लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक- 30.12.2024 संलग्न– गणेशा राम व जितेन्द्र सिंह के आधार कार्ड की छाया प्रति मूंग बेचान किए गए की रसीद की छायाप्रति एसडी जितेन्द्र सिंह जितेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुरोहित निवासी छिपरवाड़ा जिला जालौर मो.नं. [redacted] प्रार्थी एसडी गणेशा राम गणेशा राम पुत्र गेना जी जाति कुम्हार निवासी मेगवालों का वास, होर, जिला जालौर मो.नं. [redacted] कार्यावाही पुलिस दिनांक 30.12.2024 समय 03.20 पीएम को परिवादी श्री गणेशा राम पुत्र गेना जी, जाति कुम्हार, उम्र 79 साल, निवासी मेगवालों का वास आहोर, जिला जालौर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर में उपस्थित होकर मन् मांगीलाल राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि मेरे व मेरे पुत्रों के खेत में मैंने तथा काश्तकार श्री नारायण सिंह राजपुरोहित निवासी छिपरवाड़ा ने मूंग की बुवाई की थी। इस वर्ष की पैदावार मूंग को दो अलग-अलग ट्रेक्टरों में भरकर कृषि मण्डी में बेचने हेतु मैं तथा काश्तकार नारायण सिंह पहुंचे, जहां श्री भंवरसिंह बाबुजी ने मूंग तुलवाने की एवज में मेरे से प्रत्येक ट्रेक्टर दस-दस हजार रूपये खर्चे-पानी के देने हेतु कहा तथा दो बोरी मूंग वापस कर कहा कि दोनों ट्रेक्टरों के बीस हजार रूपये लेकर आना तब मैं दो बोरी मूंग भी कृषि मण्डी में तुलवा दूंगा। मैं मेरे वाजिब काम मूंग तुलवाने एवं बेचने हेतु जमा करवाने की एवज में श्री भंवरसिंह बाबुजी कृषि मण्डी आहोर को रिश्वत के बीस हजार रूपये नहीं देना चाहता हूँ। मेरे काश्तकार श्री नारायण सिंह का पुत्र जितेन्द्र सिंह मेरे साथ है। मेरे तथा जितेन्द्र सिंह एवं श्री भंवरसिंह बाबुजी के मध्य किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है तथा न ही कोई रूपयों का लेन-देन बकाया होना बताया। परिवादी ने उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा लिखी होना तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना एवं रिपोर्ट पर परिवादी श्री गणेशा राम के स्वयं के तथा जितेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर होना बताया, साथ ही दोनों ने आधार कार्ड तथा मूंग बेचान करने की रसीद की छायाप्रति पेश की। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिभाषा में आना पाया जाता है। प्रथमतः रिश्वत में राशी की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। जिस पर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया तथा उपस्थित परिवादी श्री गणेशा राम तथा जितेन्द्र सिंह का परिचय सउनि से करवाया जाकर आपस में मोबाईल नम्बरों का आदान प्रदान कराया गया। श्री रविन्द्र कुमार सउनि कार्यालय हाजा के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी श्री गणेशा राम को ऑपरेट करना सिखाया गया। तत्पश्चात श्री रविन्द्र कुमार सउनि को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी तथा परिवादी श्री गणेशा राम व जितेन्द्र सिंह को आवयश्क समझाईश की गई कि कृषि मण्डी आहोर पहुंच श्री भंवरसिंह बाबुजी

से वार्ता कर वार्ता रिकॉर्ड कर लावे। तत्पश्चात श्री रविन्द्र कुमार सहायक निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्युरो जालौर मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के हमराह परिवादी श्री गणेशा राम तथा जितेन्द्र सिंह के रिश्वती राशी मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु कृषि मण्डी आहोर के लिए रवाना किया जाता हैं। तत्पश्चात श्री रविन्द्र कुमार सहायक निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्युरो जालौर मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के हमराह परिवादी श्री गणेशा राम तथा जितेन्द्र सिंह के रिश्वती राशी मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु कृषि मण्डी आहोर गए हुए कार्यालय हाजा उपस्थित आए। श्री रविन्द्र कुमार सउनि ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि मैं तथा परिवादी गणेशा राम व जितेन्द्र सिंह कार्यालय हाजा से रवाना होकर कृषि मण्डी आहोर के नजदीक पहुंच डिजिटल वाईस रिकॉर्ड ऑन कर परिवादी गणेशा राम को सुपुर्द कर श्री गेणशा राम तथा श्री जितेन्द्र सिंह को आवश्यक हिदायत दी जाकर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी श्री भंवरसिंह बाबु कृषि मण्डी आहोर से वार्ता कर वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लाने हेतु कृषि मण्डी आहोर की तरफ रवाना किया गया तथा मन् सउनि कृषि मण्डी आहोर के पास ही अपनी पहचान छिपाते हुए परिवादीगण के वापस आने के इंतजार में व्यस्त रहा। करीब 15-20 मिनट बाद परिवादी श्री गणेशा राम व जितेन्द्र सिंह कृषि मण्डी आहोर से रवाना होकर मेरे पास पहुंचे, जिस पर मन् सउनि ने परिवादी श्री गणेशा राम से पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉइस रिकार्ड प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी श्री गणेशा राम ने मुझे बताया कि मैं व जितेन्द्र सिंह रवाना होकर कृषि मण्डी आहोर पहुंचे, जहां श्री भंवरसिंह बाबुजी उपस्थित मिले, जिनसे मैंने मेरे खेत में मूंग की हुई पैदावार की दो ट्रेक्टर ट्रोलियों को कृषि मण्डी में तुलवाकर जमा करवाए गए तथा शेष दो बोरी मूंग को तौल कर जमा करवाने की एवज में मेरे से दस हजार रूपये की मांग की। मेरे द्वारा कम करने का कहने पर श्री भंवर सिंह बाबुजी नौ हजार रूपये लेने हेतु सहमत हो गऐ तथा शेष दो बोरी मूंग कृषि मण्डी में तुलवाने हेतु इत्यादी वार्ता रिकॉर्ड होना बताया। उपस्थित परिवादी श्री गणेशा राम तथा श्री जितेन्द्र सिंह ने सउनि के कथनों की ताईद की। तत्पश्चात् उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ऑन कर प्ले/रिवर्स कर सुना तो उपरोक्त कथनों की ताईद हुई। उपरोक्त वार्ता रिकार्ड होना तथा संदिग्ध लोकसेवक द्वारा परिवादी श्री गणेशा राम से 9,000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय होने की पुष्टी होना पाया गया। उक्त वार्ता की आईन्दा स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादीगण की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ऑफ कर स्वंय की अलमारी में सुरक्षित रखा जाकर ताला लगवाया एवं अलमारी की चाबी स्वयं के पास सुरक्षित रखी। परिवादी श्री गणेशा राम तथा श्री जितेन्द्र सिंह को कल दिनांक 31.12.2024 को प्रात करीब 11.30 एएम पर रिश्वत में दी जाने वाले राशि 9,000 रुपये की व्यवस्था कर साथ लेकर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु प्रकरण की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रुकसत किया गया, साथ ही कार्यालय स्टाफ को भी कल दिनांक 31.12.2024 को कार्यालय समय पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 31.12.2024 को परिवादी श्री गणेशा राम व श्री जितेन्द्र सिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 9,000 रूपये साथ लेकर आया हूँ। कार्यालय स्टाफ भी कार्यालय हाजा में उपस्थित है। प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से विकास अधिकारी पंचायत समिति जालौर के नाम तेहरीर जारी कर इस कार्यालय के विशेष वाहक श्री करणीदान कानि. 236 को आवश्यक हिदायत दी जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु पंचायत समिति जालौर के लिए रवाना किया गया। ताबाद श्री करणीदान कानि. 236 मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आए जिस पर गवाहन का परिचय प्राप्त किया तो क्रमश सर्व श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह, जाति राजपूत, निवासी राजपूत, उम्र 45 साल, निवासी धवला, तहसील व जिला जालौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय पंचायत समिति जालौर मो.न. [redacted] तथा श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व. हुकमाराम, जाति मेघवाल, उम्र 34 साल, निवासी सेंदरिया बालोतान, तहसील आहोर जिला जालौर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति जालोर मो.नं. [redacted] होना बताया। दोनों गवाहान को उपस्थित आने के मंतव्य से अवगत करवाया गया तथा उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने हेतु सहमति चाही जाने पर दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। उपस्थित परिवादी श्री गणेशा राम तथा श्री जितेन्द्र सिंह से दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 30.12.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया एवं दिनांक 30.12.2024 को परिवादी श्री गणेशा राम तथा श्री जितेन्द्र सिंह तथा संदिग्ध श्री भंवरसिंह बाबु के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है, को अलमारी से निकाल कर ऑन कर सुनाया गया जिस पर वार्तालाप के मुख्यांश सुनने के पश्चात दोनों गवाहान ने परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात वक्त 12.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री गणेशा राम द्वारा आरोपी श्री भंवरसिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 18 नोट कुल 9,000 रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है- क्र.सं. नोट का मूल्य नोट के सीरियल नम्बर 1. एक पांच सौ रुपये का नोट 5QC178990 2. एक पांच सौ रुपये का नोट 0BH712838 3. एक पांच सौ रुपये का नोट 5CR212760 4. एक पांच सौ रुपये का नोट 7GH393601 5. एक पांच सौ रुपये का नोट 9AH649281 6.

एक पांच सौ रुपये का नोट 4LB344741 7. एक पांच सौ रुपये का नोट 4BR921492 8. एक पांच सौ रुपये का नोट 0AP616723 9. एक पांच सौ रुपये का नोट 3PS737731 10. एक पांच सौ रुपये का नोट 4AF101485 11. एक पांच सौ रुपये का नोट 1FS083420 12. एक पांच सौ रुपये का नोट 9EQ099644 13. एक पांच सौ रुपये का नोट 3MW668538 14. एक पांच सौ रुपये का नोट 2GA076121 15. एक पांच सौ रुपये का नोट 7ND209908 16. एक पांच सौ रुपये का नोट 3BM581548 17. एक पांच सौ रुपये का नोट 8WP229106 18. एक पांच सौ रुपये का नोट 8EG803902 कार्यालय हाजा के श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना से फ़िनॉलफ़्थेलिन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को सुपुर्द करवाई गई। तत्पश्चात उपरोक्त पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के सभी नोटों को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से उपरोक्त प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फ़िनॉलफ़्थेलिन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री गणेशाराम की जामा तलाशी गवाह श्री महेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक तथा जितेन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री प्रदीप कुमार कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई, उक्त दोनों के पास कोई आपत्तिजनक राशी, वस्तु व दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए तथा अपने-अपने मोबाईल पास रखे गए। तत्पश्चात फ़िनॉलफ़्थेलिन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशी 9,000 रूपये परिवादी श्री गणेशा राम के पहने हुए कमीज की उपरी बांयी जेब में रखवाए जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी को रास्ते में हाथ नहीं लगाए एवं छुए नहीं तथा आरोपी श्री भंवरसिंह द्वारा मांगने पर ही उसे अपनी जेब से निकाल कर देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करें, साथ ही परिवादी श्री गणेशा राम को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री भंवरसिंह द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उक्त राशि आरोपी श्री भंवरसिंह के प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फैर कर या मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल [redacted] पर कॉल या मिस कॉल कर या ट्रेप दल के अन्य सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात् कार्यालय हाजा से एक प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाया गया, जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया । इस रंगहीन घोल में श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोड़कर नष्ट करवाया गया तथा उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुन मालखाना में रखवाई जाकर मालखान को बंद कर ताला लगवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के दोनों हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु/दस्तावेज एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई । मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखे। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को जाब्ता की कमी होने व अन्य कोई चालक नहीं होने से ट्रेप पार्टी में शामिल कर हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेनदेन होने तक कार्यवाही से पृथक रहे। परिवादी, गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत दी गई। ताबाद मन् मांगी लाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वयं के निजी वाहन से हमराह स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र सिंह व श्री प्रदीप कुमार के तथा अन्य निजी वाहन में श्री कालूराम कानि. 477, श्री मोटा राम कानि. 295 व श्री करणीदान कानि. 236 के तथा अन्य निजी वाहन से श्री रविन्द्र कुमार सउनि हमराह श्री मोहनलाल हैड कानि. 93, श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 तथा परिवादी श्री गणेशा राम व सह परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह के मय प्रकरण से संबंधित पत्रावली व ट्रेप बॉक्स व आश्यक सामग्री डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र.नि. ब्यूरो जालौर से आहोर की तरफ रवाना हुए, कार्यालय की निगरानी हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. 232 को आवश्यक हिदायत दी जाकर मामूर कर पांबद किया गया। तत्पश्चात रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के जरिये निजी वाहनों के कृषि उपज मण्डी आहोर के नजदीक पहुंचे, उक्त मण्डी के बाहर किसानों के ट्रेक्टरों की ट्रोलियों में मूंग की बोरियां एवं कट्टे उपज मण्डी में तुलवाने हेतु काफी संख्या में खड़े थे । निजी वाहनों को एक तरफ खड़ा करवाया जाकर समस्त ब्यूरो जाब्ता को कार्यवाही में गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी श्री गणेशा राम एवं सह परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह को निजी वाहन से निचे उतार कर आवश्यक

हिदायत दी तथा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी श्री गणेशा राम को सुपुर्द कर रिश्वती राशी लेनदेन हेतु तथा लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु मय सह परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह के कृषि उपज मण्डी आहोर की तरफ संदिग्ध आरोपी श्री भंवर सिंह से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया तथा परिवादीगण के पिछे पिछे श्री कालूराम कानि. 477 एवं श्री करणीदान कानि. 236 को आवश्य हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान को कृषि उपज मण्डी के आस-पास ही अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार करने में व्यस्त रहे। वक्त करीब 04.25 पी.एम. पर परिवादी श्री गणेशा राम ने रिश्वती राशि के लेन-देन के पश्चात कृषि उप मण्डी आहोर के परिसर में टेंट के पास आकर ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फैर कर पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा किया। जिस पर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शीघ्र ही हरकत में आकर रवाना होकर परिवादी श्री गणेशा राम के पास पहूंच पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी श्री गणेशा राम ने बताया कि कृषि उप मंडी के अन्दर टेंट के अन्दर श्री भंवरसिंह सैल्स मेन ने मेरे खेत की पैदावार मूंग की दो ट्रैक्टर ट्रोली तोल कर जमा करने तथा शेष दो बोरी मूंग तुलवाने की एवज में अभी-अभी मांग कर 9,000 रूपये दोनों हाथों से गिनकर प्राप्त किए है तथा श्री भंवरसिंह सैल्समेन उसी टेंट में ही बैठा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान ट्रेप दल एवं गवाहन के परिवादी श्री गणेशा राम तथा सह परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह को हमराह लेकर कार्यालय कृषि उप मण्डी आहोर के अन्दर प्रवेश होते ही बाईं तरफ लगे टेंट में प्रवेश हुए तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मोटाराम कानि. 295 को कार्यालय हाजा के विडियो केमरे से विडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित कर आवश्यक हिदायत दी। उक्त टेंट में परिवादी श्री गणेशा राम ने पेन्ट शर्ट पहने हुए लोहे के खाट पर बिछाऐ हुए खाली बारादानों पर बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही श्री भंवरसिंह है, जिन्होने अभी अभी मेरे से 9,000 रूपये प्राप्त किए है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना तथा स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप-दल के सदस्यों का परिचय देकर उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री भंवरसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह, जाति राजपूत, उम्र 52 साल, निवासी धनारी, थाना खेड़ापा, जिला जोधपुर, सैल्समैन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आहोर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी आहोर, हाल सहायक खरीद प्रभारी, कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उप-मंडी आहोर, जिला जालौर होना बताया। जिस पर आरोपी श्री भंवरसिंह ने घबराते हुए आनन-फानन में अपनी पहनी हुई पेंट की बांई जेब से 500-500 रूपये के नोट निकाल कर उसी खाट पर बिछे हुए उक्त बारदानों पर रख दिए। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री भंवरसिंह को उपस्थित परिवादी श्री गणेशा राम से रिश्वती राशि 9,000 रूपये प्राप्त करने के बारे में पुछा गया तो आरोपी श्री भंवरसिंह घबरागया तथा निरुत्तर रहा। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गवाह श्री महेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक से उक्त राशि उठाई जाकर गिनवाई गई तो 500-500 रूपये के 23 नोट व 100-100 रुपये के 5 नोट कुल राशि 12,000 रूपये होना पाई गई। जिस पर उक्त बरामदा राशि 12,000 रूपये सुरक्षा की दृष्टि से गवाह श्री महेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कृषि उपज मण्डी में सैकड़ों किसान अपने ट्रेक्टर ट्रोलियों में मूंग तुलवाने हेतु आए हुए होने तथा काफी संख्या में लोगों के इक्कठे हो जाने से हाथ धोवन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को मध्यनजर रखते हुए आरोपी श्री भंवरसिंह को यथा स्थिति में ट्रेप दल के निजी वाहन में बिठाया गया तथा अग्रीम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना आहोर में किए जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेपदल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी श्री गणेशा राम तथा सह परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह के आरोपी श्री भंवरसिंह को हमराह लेकर ट्रेपदल के निजी वाहनों से उक्त कृषि उपज उप मण्डी आहोर से रवाना होकर पुलिस थाना आहोर पहुंचे। थानाधिकारी आहोर को निर्देशित कर थाने का एक कार्यालय कक्ष खुलवाया गया तथा मन् अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक मय समस्त हरायान के आरोपी श्री भंवरसिंह को हमरा लेकर उक्त कार्यालय कक्ष में लाया गया। अग्रीम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात प्रक्रिया अनुसार हाथ-धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टीक के बड़े पारदर्शी डिस्पोजल के दो गिलास मंगवाई जाकर उक्त दोंनो गिलासों में पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा प्रत्येक गिलास में करीब एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त दोंनो गिलासों के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भंवर सिंह के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर धोवन का मार्क LH-1 व LH-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात प्लास्टिक की दूसरी डिसपोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भंवर सिंह के दाहिने हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर धोवन का मार्क RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात

आरोपी श्री भंवरसिंह के वक्त पहने हुए पेंट को उतरवाया जाकर अन्य पेन्ट पहनाई गई। तत्पश्चात एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक के डिसपोजल गिलास में पिने का साफ पानी भरवाया जाकर करीब एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गिलास के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया, तत्पश्चात आरोपी श्री भंवरसिंह के वक्त वाका पहनी हुई पेंट की बाईं जेब को उलटवाकर उक्त रंगीहीन गिलास के घोल में बारी बारी से डुबो-डुबो कर धोवन का रंग मटमैला हल्का झांयीदार गुलाबी रंग आया उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधिगण के हस्ताक्षर करवाए जाकर मार्क P-1 एवं P-2 अंकित किया गया तथा उक्त पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर उस पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाया जाकर उक्त पेंट को एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाया जाकर थैली को सील मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करवाया जाकर उसपर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाए गए तथा थैली पर मार्क P अंकित किया गया। तत्पश्चात पाए गए 12,000 रुपये के नोटों का फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के नोटों से मिलान करवाया जाना आवश्यक होने से उपस्थित गवाह् श्री प्रदीप कुमार को पूर्व में तेयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी राशि सुपुर्द कर पाऐ गए नोटों का मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी के मुताबीक नोटों का मिलान नहीं होना पाया गया। उक्त राशि 12,000 रूपये को तेहवील एसीबी लिया गया। उक्त 21,000 हजार रूपये के बारे में पुछने पर आरोपी बगलें झाकने लगा तथा कोई जवाब नहीं दे रहा है। उक्त संदिग्ध राशि 12,000 रूपये आरोपी श्री भंवरसिंह ने अन्य काश्तकारों से रिश्वत के रूप में प्राप्त करना प्रतीत होता है। आरोपी श्री भंवरसिंह से रिश्वती राशि 9,000 रूपये प्राप्त करने के बारे में पुछा गया तो अरोपी श्री भंवरसिंह घबरा गया। कुछ भी जवाब देने से निरुत्तर रहा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस के निर्देशानुसार गवाह श्री महेन्द्रसिंह से अरोपी श्री भंवरसिंह की जामा तलाशी लिरवाई गई तो अरोपी श्री भंवर सिंह के पहने हुए दाहिने पैर के जुराब में कुछ राशि पाई गई। जिसको गवाह श्री महेन्द्र सिंह से राशि जुराब से बाहर निकलवाई जाकर गिने तो भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 18 नोट कुल 9,000 रूपये पाए गए। उपस्थित गवाह् श्री प्रदीप कुमार को पूर्व में तेयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी राशि सुपुर्द कर पाऐ गए नोटों का मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी के मुताबीक नोटों के नम्बरों का मिलान हुबहू पाए गए। जिस पर नोटों के नम्बर फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ-धोवन कार्यवाही में अंकित करवाया जाकर बरामदा रिश्वती राशि 9,000 रूपये (अक्षरे नौ हजार रुपये) को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाया जाकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M अंकित किया जाकर तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात इस बरामदगी राशि के बारे में पुछने पर आरोपी श्री भंवरसिंह ने बताया कि उक्त 9,000 रुपये काश्तकार श्री गणेशा राम के दो ट्रोली मूंग तुलवाए गए थे उसकी एवज में श्री गणेशा राम ने अपनी इच्छा से दिए थे। जो मैंने प्राप्त कर दोनों हाथों से गिन कर पहने हुए दाहिने पैर के जुराब में रखे थे। साथ ही श्री भंवरसिंह के वक्त वाक पहनी हुई पेंट की बाईं जेब का धोवन हल्का गुलाबी झाईदार आने बाबत् पुछा गया तो आरोपी श्री भंवरसिंह ने बातया कि काश्तकार श्री गणेशाराम से प्राप्त राशि मैंने 9,000 रूपये के नोटों को दोनों हाथों से गिने थे तथा आपके आने पर मेरी पहनी पेंट की बांयी जेब से अन्य राशि 12,000 रूपये बाहर निकाल कर पास में रखी दी थी। इसकी वजह से हल्का गुलाबी झाईदार रंग आया होगा। उपस्थित परिवादी श्री गणेशाराम ने अरोपी श्री भंवरसिंह के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए स्वैच्छा से बताया कि मैंने इस वर्ष के खेत की पैदावार मूंग की दो ट्रेक्टर ट्रोली बारी-बारी से कृषि उपज मंडी आहोर में बेचान करने हेतु श्री भंवरसिंह ने मेरे से प्रत्येक ट्रोली के दस-दस हजार कुल 20,000 रूपये खर्चे के रूप में मांगे थे। कल दिनांक 30.12.2024 को श्री भंवरसिंह से मेरे शेष बचे दो बोरी मूंग उक्त खरीद केन्द्र कृषि मण्डी आहोर में तौलकर जमा करने हेतु कहा तो उन्होने 9,000 रुपये लेने हेतु सहमत होने तथा दो बोरी मूंग तौलकर जमा करने हेतु कहा था। आज श्री भंवर सिंह ने मेरे से 9,000 रूपये प्राप्त कर दोनों हाथों से गिन कर अपने पास रखे थे। तत्पश्चात रिश्वती राशि लेनदेन दौरान परिवादी श्री गणेशा राम, सह परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह तथा आरोपी श्री भंवर सिंह के मध्य रूबरू हुई वार्तालाप जो डीजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो लेन देन के दौरान वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात रिश्तवती राशि 9,000 रुपये आरोपी श्री भंवर सिंह द्वारा परिवादी श्री गणेशा राम से प्राप्त कर अपने दांए पैर में पहने हुए जुराब में रखी थी, उक्त जुराब से रिश्वती राशि बरामद हुई उक्त जुराब को धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक पारदर्शी प्लास्टीक का डिस्पोजल गिलास मंगवया जाकर उसमें पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त गिलस में करीब एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गिलस के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन गिलास के घोल में उक्त जुराब को बारी बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी रंग आया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधिगण के हस्ताक्षर करवाए जाकर मार्क J-1 एवं J-2 अंकित किया गया। तत्पचात आरोपी श्री भंवर सिंह के वक्त वाका पहने हुए दाहिने पैर के जुराब में से रिश्वती राशि बरामद हुई है, उक्त जुराब पर संबंधिगण करवाया जाना असंभव है। उक्त जुराब को खाकी लिफाफे में रखा जाकर जुराब को मय खाकी लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में डाल कर सिल मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर

संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाए जाकर थैली पर मार्क J अंकित किया गया। आरोपी श्री भंवरसिंह को परिवादी श्री गणेशा राम द्वारा तुलवाए गए मूंग से संबंधि रसिदात एवं रिकॉर्ड के बारे में पुछा गया तो आरोपी श्री भंवरसिंह ने बताया कि रसीद बुकें उक्त मंडी के एक कमरे में श्री विकास कुमार संधारण करते है तथा हाल की दो दिन पहले श्री भरत कुमार को रखा गया है, जो कमरे में रसिदे काट रहा है। प्रकरण से संबंधित रिकार्ड पृथक से जरिए फर्द जब्ती के प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। जिस पर पूर्व में पाबंद शुदा श्री भरत कुमार हैल्पर कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उप-मंडी, आहोर, जिला जालौर ने ट्रेप कार्यवाही हाजा में परिवादी श्री गणेशा राम द्वारा अपने खेत की पैदावर मुंग खरीद केन्द्र में तुलवाने से संबंधित रसीद बुकें एवं एक रजिस्टर पेश किए गए। जो प्रकरण हाजा में वांछित होन से जरिए फर्द जब्ती के जब्त किया जाकर पृथक से फर्द जब्ती रिकार्ड द्वारा श्री भरत कुमार पुत्र श्री कालूराम कुम्हार, निवासी आम्बला की सेरी आहोर, जिला जालौर हाल हैल्पर कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उप-मंडी, आहोर, जिला जालौर मुर्तिब की गई। विस्तृत विवरण फर्द में अंकित है। ताबाद रात्री अधिक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निर्देशानुसार ट्रेप दल के सदस्यगण मय स्वतंत्र गवाहन एवं दस्तयाब शुदा आरोपी श्री भंवर सिंह को रात्री भोजन करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, दस्तयाब शुदा आरोपी श्री भंवरसिंह, समस्त ब्यूरो स्टाफ, ट्रेपबॉक्स मय फर्दात् के मुताबिक मालखाना आईटम एवं आवश्यक सामग्री, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर, प्रिंटर, लेपटॉप एवं प्रकरण से संबंधित पत्रावली मय फर्दात् इत्यादि के निजी वाहन से आहोर से रवाना होकर दिनांक 01.01.2025 को जालौर पहुंच राजकीय चिकित्सालय जालौर से आरोपी श्री भंवरसिंह का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु तेहरीर प्रस्तुत कर, आरोपी श्री भंवरसिंह का स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात रवाना होकर मय जाब्ता एवं हरायान के भ्र.नि. ब्यूरो जालौर पहुंचा। आरोपी श्री भंवरसिंह की निगरानी हेतु श्री कालूराम कानि. 477 को हिदायत देकर मामूर किया। मालखाना आईटम श्री रविन्द्र कुमार सउनि को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादीगण के दिनांक 30.12.2024 को परिवादीगण व आरोपी श्री भंवरसिंह के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान एवं दिनांक 31.12.2024 को रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम से परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गए एंव उपरोक्त प्रत्येक वार्तालाप की कम्प्यूटर के माध्यम से दो-दो सीडीयों में अपलोड करवाई जाकर हर दोनों सीडीयों को क्लोन/कॉपी मानते हुए खुली रखी गई। आरोपी श्री भंवरसिंह व स्वयं की आवाज की पहचान परिवादीगण द्वारा की गई। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकाला जाकर एक प्लास्टिक के कवर में डाल कर एक सफैद कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील मोहर कर मार्क N अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 04.15 एएम पर आरोपी श्री भंवरसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह, जाति राजपूत, उम्र 52 साल, निवासी धनारी, थाना खेड़ापा, जिला जोधपुर, सैल्समैन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आहोर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी आहोर, हाल सहायक खरीद प्रभारी, कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उप-मंडी आहोर, जिला जालौर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) से नियमानुसार आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री भंवर सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री महेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो पहने हुए पारचात के अलावा उसके पास कोई आपत्तिजनक राशि वस्तु एवं दस्तावेज नहीं पाए गए तथा न ही ब्यूरो कब्जा ली गई। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहन लाल हैड कानि. 93, श्री मोटा राम कानि. 295 मय विडियो केमेरा, श्री कालूराम कानि. 477, श्री करणीदान कानि. 236 तथा परिवादी श्री गेणशा राम व श्री जितेन्द्र सिंह के जरिए निजी वाहन से जालौर से रवाना होकर आरोपी श्री भंवर सिंह के किराये के मकान चौधरियों की सेरी आहोर पहुंच नियमानुसार आरोपी श्री भंवर सिंह के किराये के मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाऐ गए ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के रवाना होकर घटनास्थल कार्यालय कान्हड़देव सोनगरा कृषि उपज मण्डी समिति जालौर उप मण्डी प्रागण आहोर पहुंच नियमानुसार गवाहन के रूबरू परिवादीगण की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका एवं हालात मौका घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ताबाद आहोर से रवाना होकर शुदा भ्र.नि. ब्यूरो जालौर पहुंच मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री गणेशा राम की उपस्थिति में वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वती राशि की बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही की, खाना तलाशी एवं घटनास्थल निरीक्षण की श्री मोटाराम कानि. नं. 295 के द्वारा कार्यालय हाजा के विडियो केमरा से विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, जो विडियो केमेरा में लगे मेमोरी कार्ड में सेव है। उक्त मूल ही मेमोरी कार्ड को विडियो केमरा से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से तीन क्लोन/कॉपी सीडीयां तैयार करवाई गई, मूल ही मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक के कवर में पैक कर, एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये । क्लोन/कॉपी सीडीयां को खुली हालत में रखा गया। ताबाद

प्रकरण हाजा में मुर्तिब शुदा समस्त फर्दात् तथा जब्त शुदा आर्टिकल्स को सील्ड करने में प्रयुक्त की गई कार्यालय हाजा की पीतल की मोहर की फर्द नमूना सील मुर्तिब कर शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में फर्दात के मुताबिक जब्त शुदा मालखान आइटम क्रमश आरोपी श्री भंवरसिंह के दोनो हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठों का लिया गया धोवन मार्क LH-1, LH- 2, RH- 1, RH- 2, शील्ड शुदा शीशीयां, वक्त वाका पहनी हुई पेंट के बांई जेब का धोवन मार्क P-1, P-2 शील्ड शुदा शीशीयां, उक्त पेंट का पेकेट मार्क P शील्ड शुदा, संदिग्ध राशि 12,000 रूपये खुली हालत में, रिश्वती राशि 9,000 रुपये एक सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मार्क M, परिवादी के दाहिने पैर के जुराब में से रिश्वती राशि बरामद होने से जुराब का धोवन मार्क J- 1, J- 2 शील्ड शुदा शीशीयां, उक्त जुराब का पैकेट मार्क J शील्ड शुदा, मांग सत्यापन एवं लेनेदन वार्तालाप के रिकॉर्डिंग का मूल मेमोरी कार्ड सफेद कपड़े की थैली में शील्ड मोहर शुदा मार्क N, तथा ट्रेप कार्यवाही की विडीयोग्राफी की मूल मेमोरी कार्ड सफेद कपड़े की थैली में शील्ड मोहर शुदा मार्क V एवं उक्त की क्लोन/कॉपी की हुई 7 सिडियां खुली हालात में इत्यादी को मालखान प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सउनि सुपुर्द किया जाकर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवा कर मालखाना करवाया गया। परिवादी तथा गवाहन को रुकसत किया गया। निवेदन है कि अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री गणेशा राम पुत्र गेना जी, जाति कुम्हार, उम्र 79 साल, निवासी मेगवालों का वास आहोर, जिला जालौर व उसके पुत्र के खेत में परिवादी व काश्तकार श्री नारायण सिंह राजपुरोहित के द्वारा मूंग की फसल बोई थी। उक्त मूंग की पैदावार को परिवादी श्री गणेशा राम व श्री नारायण सिंह दो अलग-अलग ट्रैक्टर ट्रोली में भरकर आहोर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी आहोर के कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उपज मंडी आहोर, जिला जालौर में बेचने हेतु गए थे, तो वहां आरोपी श्री भंवरसिंह सैल्समैन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आहोर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी आहोर, हाल सहायक खरीद प्रभारी, कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उपज मंडी, आहोर, जिला जालौर ने परिवादी श्री गणेशाराम एवं श्री नारायण सिंह से उक्त मूंग का वजन कर बेचान करवाने तथा शेष रहे दो कट्टे मूंग का वजन करवाने की एवज में परिवादीगण से रिश्वती राशि की मांग कर रहा था। दिनांक 30.12.2024 को परिवादी के मार्फत गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री भंवरसिंह ने उक्त दो ट्रोली तुलवाए हुए मूंग तथा शेष रहे मूंग को तुलवाने की एवज में परिवादी से 9,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की गई। दिनांक 31.12.2024 को आरोपी द्वारा परिवादी से 9,000 रूपये रिश्वत के रुप में प्राप्त किए, जो उसके पहने हुए दाहिने पैर के जुराब में से बरामद हुई तथा इसके अलावा संदिग्ध राशि 12,000 रूपये और बरामद हुए। आरोपी श्री भंवरसिंह सैल्समैन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आहोर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी आहोर, हाल सहायक खरीद प्रभारी, कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उप-मंडी, आहोर, जिला जालौर का उक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) अपराध घटीत करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री भंवरसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह, जाति राजपूत, उम्र 52 साल, निवासी धनारी, थाना खेड़ापा, जिला जोधपुर, सैल्समैन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आहोर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी आहोर, हाल सहायक खरीद प्रभारी, कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उप-मंडी आहोर, जिला जालौर के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (मांगीलाल राठौड़) अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, जालोर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री भंवरसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह, जाति राजपूत, उम्र 52 साल, निवासी धनारी, थाना खेड़ापा, जिला जोधपुर, सैल्समैन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आहोर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी आहोर, हाल सहायक खरीद प्रभारी, कृषि उपज खरीद केन्द्र, कृषि उप-मंडी आहोर, जिला जालौर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री चैनप्रकाश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 14 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 01-04 दिनांक 01-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली । 2-जनरल मैनेजर आहोर, को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाईटी, आहौर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** CHEN PRAKASH **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/05/1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)